GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST)
MUMBAI – 400 096.

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/331/2012-13/14063 08th June, 2016

CIRCULAR NO. LAB/06/2016-17

Subject :- Social Security for workers.

You are aware that the Government has enacted the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions (EPF & MP) Act, 1952 with an objective of instituting compulsory savings by way of provident fund to employees as part of the social security system.

The EPF & MP Act, 1952 gives the framework for operating three social security schemes for the workers of the country.

(i) The Employees' Provident Funds (EPF) Scheme, 1952 which provides savings and old age income security to its members.

(ii) The Employees' Pension Scheme (EPS) 1995, which has been designed as a Defined Benefit Social Pension scheme that aims at providing economic sustenance during old age and survivorship coverage to the member's family.

(iii) The Employees' Deposit Linked Insurance (EDIL) Scheme, 1976 which provides for insurance in case of death of a member while in service.

The Ministry of Labour & Employment, Government of India has further mentioned that in order to provide a bare minimum amount as pension which may help towards social security of EPS Pensioners, the Government started providing a minimum pension of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand) per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01/09/2014 and he has also intimated that EPFO has also been instructed to organize public functions throughout the country for sensitizing EPS pensioners and other members of the public about the minimum pension scheme of the Government and also invite people's representatives in these events.

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय

सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

****

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/श्रम/331/2012-13/ 14063 दिनांकः 08 जून, 2016

परिपत्र संख्या श्रम/06/2016-17

विषयः- कामगारों के लिए सामज़िक सुरक्षा।

आपको विधित है कि सरकार ने सामजिक सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में कामगारों को भविष्य निधि के रूप में अनिवार्य बचत प्रारंभ करने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध (ईपीएफ तथा एमपी) अधिनियम, 1952 अधिनियमित किए है।

ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 देश के कामगारों के लिए 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं परिचालित करने का आधार है।

(i) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में सदस्यों को बचत तथा वृद्धावस्था आय की सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) कर्मचारी पेन्शन स्किम (ईपीएस), 1995 परिभाषित हित लाभ सामाजिक पेन्शन योजना के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता तथा सदस्यों के परिवार को उत्तर जीविता सहायता प्रदान करता है।

(iii) कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीआइएल) योजना, 1976 में सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यू होने की दशा में बीमा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।

श्रम तथा रोजगार मंत्रायल, भारत सरकार ने आगे यह सूचित किया है कि ईपीएस पेन्शनधारियों को सामजिक सुरक्षा के तहत पेन्शन के रूप में न्यूनतम राशि प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 01.9.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेन्शनधारियों को 1,000/- (एक हजार रूपए) प्रतिमाह की दर से न्यूनतम पेन्शन प्रदान करना प्रारंभ किया। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि ईपीएस पेन्शनधारियों तथा अन्य सामान्य जनों को सरकार के इस न्यूनतम पेन्शन योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सार्वजनिक समारोहों का आयोजन करने तथा इन कार्यक्रमों जनता के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निदेश दिया है।